

न्यायालय अति.जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध :: 141/2018

RCMS Case No. 2018/00162

प्रार्थी :-
सरकार जरिये तहसीलदार रानी

बनाम

अप्रार्थी:-

1. पुखराज पुत्र मोती
2. गणेशराम पुत्र मोती
3. हंसाराम पुत्र मोती
4. चुन्नीलाल पुत्र मोती
5. प्यारी पत्नी मोती जातिगण निवासीगण रानी कलां तहसील रानी
6. अचलचंद पुत्र पुखराज जाति जैन
7. रविन्द्र कुमार पुत्र तिलोक चन्द जाति जैर निवासी रानी खुर्द तहसील रानी
8. राकेश नार पुत्र घीसूलाल
9. कविता पत्नी राकेश नार जाति जैर निवासी चाणोद, तहसील रानी

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :-

1. श्री खीमाराम, सरकारी पैरोकार
2. अप्रार्थी अनुपस्थित

--: आदेश :-

दिनांक - 12/06/2018

प्रार्थी सरकार जरिये तहसीलदार रानी द्वारा यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण के अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया, जिस पर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित। अतः प्रकरण में अप्रार्थी के विरुद्ध गुणावगुण पर कार्यवाही की जाती है। सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गई।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम रानीकलां तहसील रानी के खसरा नम्बर 358, 359 रकबा 0.24 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 बाडा, गै0मु0 रास्ता की भूमि वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड अनुसार अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। उक्त इन्द्राज मोती पुत्र सोमा कौम माली को आवंटन होने के पश्चात जरिये नामान्तरकरण संख्या 509 के राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज किया गया है। जो भूमि कालान्तर में अप्रार्थीगण को बेचान/हस्तान्तरित हुई है। इस भूमि कि किस्म गै0मु0 नाला थी, जिसका आवंटन नहीं किया जा सकता है। अतः ग्राम रानीकलां तहसील रानी के नामान्तरकरण संख्या 509 को निरस्त कराने हेतु धारा 82 के तहत माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष रेफरेन्स कराया जावे।

बहस उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली तथा प्रस्तुत राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। ग्राम रानीकलां तहसील रानी के खसरा नम्बर 358, 359 रकबा 0.24 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 बाडा, गै0मु0 रास्ता की भूमि अप्रार्थी की खातेदारी के

अति. जिला कलेक्टर, पाली

रूप में राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि के मूल खसरा नम्बर 131 गै0मु0 नाडा है। उक्त भूमि तहसीलदार देसूरी द्वारा आवंटन करने से नामान्तरकरण संख्या 509 के जरिये अप्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया है। चूंकि उक्त भूमि के मूल खसरा नम्बर 131 की किस्म गै0मु0 नाला थी तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत नदी/नाला/वाला आदि की भूमि आवंटन नियमन से प्रतिबन्धित है तथा अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की अनुपालना में भी वाला की भूमि का आवंटन/नियमन नहीं किया जा सकता है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में हुआ आवंटन नियमों के अनुकूल नहीं कहा जा सकता है, साथ ही राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 में प्रदत्त प्रावधानों के विपरीत हैं। माननीय उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये गये निर्देशों की अनुपालना में भूमि की पूर्व स्थिति को बहाल कर गै.मु. नाला दर्ज की जानी है। अतः तहसीलदार देसूरी द्वारा मोती पुत्र सोमा के पक्ष में किया गया आवंटन तथा उक्त आवंटन की पालना में दायर किया गया नामान्तरकरण विधि के विरुद्ध होने से निरस्त योग्य है।

परिणामस्वरूप तहसीलदार, रानी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि अप्रार्थी के पक्ष में तहसीलदार देसूरी के आदेश क्रमांक/1635 दिनांक 21.07.1966 एवं उसकी पालना भरे गये ग्राम रानी कला तहसील रानी के नामान्तरकरण संख्या 509 को निरस्त करावे।



(भागीरथ बिश्नोई)
अति.जिला कलेक्टर, पाली